

भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA
COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, WISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 : 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

फा.सं.सी1/03/2016-टी.यू.
F.No.C1/03/2016-TU. Cus.

तारीख 1 फरवरी 2017.
Dated 1 February 2017.

सार्वजनिक सूचना PUBLIC NOTICE NO. 01/2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बजेट की प्रस्तुति - संबन्धित
Subject: Presentation of the Union Budget for the Financial Year 2017-18-reg.

सभी अधिकारियों, आयातकों/निर्यातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों और आम व्यापारी वर्ग को सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2017-18 का केन्द्रीय बजेट 1 फरवरी 2017 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध होगी:

All officers, Importers/ Exporters, Customs Brokers and the Trading Public are hereby informed that the Union Budget for the Financial Year 2017-18 will be presented in the Lok Sabha on 1st February 2017. The details would be available on the following websites:

- (i) <http://indiabudget.nic.in>
- (ii) <http://www.cbec.gov.in>
- (iii) <http://www.finmin.nic.in>

2. सूचित किया जाता है कि आगम पत्रों की फाईलिंग 1 फरवरी 2017 को 1700 बजे बंद की जायेगी और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के तहत स्वीकृतियां 1 फरवरी 2017 को 17.30 बजे बंद की जाएंगी। तथापि आईसीईएस में अन्य गतिविधियों के लिए सिस्टम उपलब्ध रहेगा। सीआईटीआरआईएक्स के साथ-साथ सीबीईसी तथा आईसीईजीएटीई वेबसाइट पर आगम पत्रों के नियमित फाईलिंग और धारा 48 के तहत स्वीकृतियों के शुरू होने के समय के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी TICKERS उपलब्ध कराया जायेगा।

It is hereby informed that the filing of Bills of Entry would be stopped at 1700 hrs on 1st February 2017 and approvals under Section 48 of the Customs Act, 1962 would be stopped at 17.30 hrs on 1st February 2017. However, the system will be available for other functions in ICES. Suitable Information TICKERS will be made available on CITRIX as well as on the CBEC and ICEGATE websites regarding the timing for Starting of the Regular filing of BEs and Section 48 approvals.

3. बजट कार्यकलाप में दौरान, नौवहन बिल (एसबी) फाईलिंग और प्रोसेसिंग बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से जारी रहेगा। यदि बजट के दौरान निर्यात इयूटी और निर्यात सेस में कोई परिवर्तन की घोषणा की जाती है, तो सभी सम्बंधितों को सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी 2017 को या इसके बाद फाइल किये गए संगत नौवहन बिलों पर ध्यान दें, और उक्त नौवहन बिलों पर निर्यात इयूटी/ सेस का भुगतान/वसूली इसके बाद मैन्युअल रूप से की जायेगी।

During the Budget activity, Shipping Bill (SB) filing and processing would continue as usual without any stoppage. If any changes are announced in the Export Duty and Export cess during the Budget, it is advised that all concerned shall keep track of the relevant SBs filed on or after 1st February 2017 till the directory changes are made online, and export duty/cess on the said SBs shall be paid/collected manually thereon.

4. इसके आलावा, 1 फरवरी 2017 को 1700 बजे से पहले फाइल किये गए आगम पत्रों की प्रोसेसिंग भी सामान्य रूप से जारी रहेगी। इसके अलावा, इयूटी देयता में परिवर्तन के सम्बन्ध में सभी सम्बंधित 1 फरवरी 2017 से पहले फाइल किये गए आगम पत्रों पर भी ध्यान देंगे।

Further, the processing of BEs filed before 1700 hrs on 1st February 2017 will also continue as usual. Further, all concerned should also keep track of Prior Bills of Entry filed before 1st February 2017 for any change of duty liability.

5. करों की अनंतिम वसूली अधिनियम, 1931 की धारा 4 के अनुसार वित्त विधेयक के प्रावधान 01.02.2017 की मध्य रात्री से लागू होंगे। आगम पत्र पूर्व में फाइल किये जाने के मामले में, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 (1)(सी) के अनुसार जहाज की प्रवेश तारीख से इयूटी दर की वसूली की जाएगी।

● In terms of Section 4 of the Provisional Collection of Taxes Act, 1931, the provisions of the Finance Bill will be effective from the midnight of 01.02.2017. In case where prior Bill of Entry has been filed, the rate of duty levied in terms of Section 15(1)(C) of the Customs Act, 1962 is the date on which the inward entry of the vessel is permitted.

6. सभी पणधारियों को सलाह दी जाती है की असुविधा से बचने के लिए उपर्युक्त बातों पर ध्यान दें।
All the stakeholders are advised to take note of the above to avoid inconvenience.

Sd/-

(डॉ.के.एन.राघवन DR.K.N.RAGHAVAN)

सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

जारी Issued to: All concerned, as per mailing list

//अनुप्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लई VILAYAN PILLAI)

सीमाशुल्क अधीक्षक (मूल्यांकन, आयात)
Superintendent of Customs (Appraising, Import)

प्रतिलिपि Copy to:

1. The Chief Commissioner's Office, Cochin
2. Commissioner's File
3. Additional Commissioner/ All DCs and ACs
4. Development Commissioner (CSEZ)
5. All Appraisers / All Sections
6. The Cochin Customs Brokers' Association
7. Guard File